

Raath Shiksha Vikas Samiti (Regd.)

Raath Mahavidyalaya Paithani

PO- Paithani, Patti- Kandarsuyn, District- Pauri Garhwal 246123

Affiliated to HNBSU (Central University) Srinagar Garhwal

Email – rmvpaithani@gmail.com

Letter No.


Date 30/04/24

Percentage of Placement of Outgoing Students

Placement of Outgoing Students (from 2018-19 to 2022-23)			
Year of Placement	Name of student	Name and contact no. of the Employer	Salary per annum (In INR)
2018-19	Girish Chandra Naudiyal	Anup Bahuguna, 8958533081	₹ 72,000.00
2018-19	Manbar Singh	Principal, SPVM Inter College, Gopeshwar, Chamoli	₹ 1,80,000.00
2018-19	Kamal Singh	Kamal Singh, 8126211655	₹ 60,000.00
2018-19	Sumit Singh	Jatindra Kaur Sandhu, 9756923884	₹ 4,20,000.00
2018-19	Shivam Dhingra	Shivam Dhingra, 8445341976	₹ 4,80,000.00
2018-19	Amrit Pal Singh	Self Business, 9808846700	₹ 12,00,000.00
2019-20	Manoj Ramola	Mr. Shrinivas Uniyal	₹ 8,40,000.00
2019-20	Navin Chandra	Shri Ansuya Prasad Sundriyal, 9411577110	₹ 2,40,000.00
2019-20	Vandana Uniyal	Manager, Modern Scholars Academy, Chamba, Tehri Garhwal	₹ 6,00,000.00
2019-20	Sunil Kumar	Manager, Swami Vishnu Chaitanya Ayurvedic Medical College & Research Centre, Roorkee	₹ 1,80,000.00
2019-20	Prem Singh	Mr. Kunwar Singh Butola	₹ 8,16,000.00
2020-21	Babita Mahar	Sonakshi, 9068293338	₹ 1,80,000.00
2020-21	Manisha Joshi	Chandra Bora, 9627157927	₹ 3,00,000.00
2020-21	Sunil Singh	Shambhu Prasad Khankriyal, 7500153011	₹ 96,000.00
2020-21	Naveen Chandra Joshi	SD Purohit, 9536413027	₹ 84,000.00
2021-22	Satpal Singh	Mr. Prabhakar Maithani	₹ 2,40,000.00
2021-22	Manoj Kanwal	Arun Bangyal, 9027239871	₹ 2,16,000.00

2022-23	Amit Singh	Principal, 8171862614	₹ 1,44,000.00
2022-23	Babita Bisht	District Sport Officer, 6720200062	₹ 4,20,000.00
2022-23	Shiva Chaudhari	DSO Nidhi Binjola, 8273170297	₹ 3,00,000.00
2022-23	Sarita Bisht	T.C. Bhatt, 9068207200	₹ 2,16,000.00
2022-23	Sunil Kumar	Manager, SVCA Medical College & Research Centre, Roorkee	₹ 1,80,000.00
2022-23	Sangeeta	Chief Education Officer, Chamoli Uttarakhand	₹ 3,00,000.00
2022-23	Kanchan Rawat	Chief Education Officer, Pithoragarh, Uttarakhand	₹ 3,00,000.00
2022-23	Kajal Rawat	Divisional Additional Director (Secondary Education) Garhwal Division, Pauri	₹ 8,50,000.00
2022-23	Priyanka Mamgain	General Manager, District Cooperative Bank Ltd. Garhwal (Kotdwar)	₹ 2,40,000.00

Note: The above list is based on student's responses through various E-mediums like WhatsApp, Google Form, E-mail etc.


Principal
 Raath Mahavidyalaya Paithani
 Pauri Garhwal (Uttarakhand)

स्थापित:- जुलाई 1993

विद्या भारती सं सम्बन्ध

8171862614
दूरभाष :- (01382) 223482

मेहरबान सिंह कण्डारी

सरस्वती विद्या मन्दिर

इण्टरमीडिएट कॉलेज, कोटद्वार-246149 (गढ़वाल) उत्तराखण्ड


प्रधानाचार्य/अध्यक्ष

पत्रांक हस्तात
दिनांक 18-03-2024

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, अमित सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह,
मेहरबान सिंह कण्डारी सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज कोटद्वार में
दिनांक 23 सितम्बर 2022 से प्रवक्ता गणित के पद पर निरन्तर कार्यरत
है।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।



Principal 18/03/24
M.S.K. Saraswati Vidya Mandir
Intermediate College
Kotdwara (G. Garhwal) Uttarakhand

ऑनलाइन प्रधानाचार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम



श्रीमान गिरीश चन्द्र नौडियाल प्रधानाचार्य श्री हरि अगस्त्येश्वर संस्कृत
विद्यालय ओडली पोस्ट ऑफिस डुंगरीखाल पट्टी बाली कण्डारस्यू ब्लॉक पाबौ
पौड़ी गढ़वाल ने दिनांक 26/05/2020 से 30/05/2020 तक सीमैट द्वारा
आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रधानाचार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियमित रूप
से प्रतिभाग किया ।

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य -


30

-प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य का नाम -
अजिता कट्टा


10 ड० का० पाबौ

पौड़ी गढ़वाल

प्रशिक्षण केन्द्र का नाम - आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पाबौ

सत्यापित

खंड शिक्षा अधिकारी


खण्ड शिक्षा अधिकारी

पाबौ (पौड़ी गढ़वाल)

कार्यालय - प्रधानाचार्य रा0इ0का0 कनखुल चमोली

आदेश संख्या / 268 / सेवा0अरा0/कार्यभार ग्रहण /2022-23

दिनांक 27 मार्च 2023

कार्यभार ग्रहण आदेश

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी के आदेश संख्या /सेवा.अराज./1423/3क(2) /60 प्रति0नियुक्ति /2022-23 दिनांक 21.03.2023 के अनुपालन में उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)सेवा नियमावली के तहत काजल रावत की नियुक्ति स्नातक वेतनकम (44900-142400 लेवल-07) में स0अ0 एल0टी0 व्यायाम के पद पर होने के फलस्वरूप इन्होंने आज दिनांक 27.03.2023 के पूर्वाह्न में विद्यालय में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रधानाचार्य

रा0इ0का0 कनखुल
रा0 इ0 का0 कनखुल
चमोली

दिनांक - उक्तवत्

पृ0सं0 / 325-36 / सेवा.राज./कार्यभार ग्रहण /2022-23

प्रतिलिपि - निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2.महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3.निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4.सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून।
- 5.अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6.मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली।
- 7.वित्त एवं लेखाधिकारी चमोली।
- 8.वरिष्ठ कोषाधिकारी चमोली।
- 9.खण्ड शिक्षा अधिकारी कर्णप्रयाग चमोली।
- 10.उप कोषाधिकारी कर्णप्रयाग चमोली।
- 11.सम्बन्धित अध्यापक।
- 12.कार्यालय गार्ड फाइल।

प्रधानाचार्य

रा0इ0का0 कनखुल
प्रधानाचार्य
रा0 इ0 का0 कनखुल
चमोली

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।

आ0सं0 : सेवायें-1/अराज0/

401

/गेस्ट टीचर/2022-23 दिनांक 09 फरवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप/गेस्ट प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) नियुक्ति आदेश

शासनादेश संख्या-3781/XXIV-B-1/22-32(01)/2013T.C-V माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 05 दिसम्बर 2022 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में रिक्त पदों पर गणित,अर्थशास्त्र एवं विज्ञान विषयों शासनादेश संख्या-1023/XXIV-नवसृजित/2018-32(01)/2013T.C-V दिनांक 22 नवम्बर 2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति/तैनाती करने हेतु प्रदान की गयी अनुमति के अनुपालन में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सेवायें-2/28673-74/गेस्ट फेकल्टी/2022-23/दिनांक 09 जनवरी 2022 के क्रम में जनपद स्तर पर गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश स्तर से प्राप्त अभ्यर्थियों को रिक्त के सापेक्ष निम्नांकित विद्यालय में अतिथि शिक्षक की तैनाती की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है-

1- यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति(सीधी भर्ती/पदोन्नति/स्थानान्तरण) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में नियुक्ति/तैनात किये जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।

2- गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0-25000.00(पच्चीस हजार मात्र) की दर से अनुमन्य होगा।

3- प्रधानाचार्य/अतिथि शिक्षकों द्वारा अनुबन्ध पत्र प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण की सूचना से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	गेस्ट टीचर का नाम	विषय	वर्तमान में आवंटित विद्यालय	अभ्यु0
1	2	3	4	5
1.	कंचन रावत	भौतिक विज्ञान	रा0इ0का0 काण्डे किरौली, पिथौरागढ़।	रिक्त पद के प्रति।

उक्तवत् तैनाती अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के भीतर कॉलम-4 में अंकित आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(अशोक कुमार)

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
पिथौरागढ़।

/गेस्ट टीचर/2022-23 दिनांक उक्तवत्।

पू0सं0 : सेवायें-1/अराज0/

18978-86

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- जिलाधिकारी महोदया, पिथौरागढ़।

3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

4- मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0,कु0मं0, नैनीताल।

5- सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद पिथौरागढ़।

6- वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा पिथौरागढ़।

7- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।

8- सम्बन्धित प्रधानाचार्य को इस आशय से कि सम्बन्धित अतिथि शिक्षक की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं तथा पूर्व में गेस्ट प्रवक्ता के रूप में कार्य करने के अनुभव प्रमाण-पत्र का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अभ्यर्थी से अनुबन्ध पत्र लेकर कार्यभार ग्रहण कराये, साथ ही सम्बन्धित विषय में छात्र संख्या शून्य (0) होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण कदापि न कराया जाय।

9- सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से कि आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के भीतर सम्बन्धित विद्यालय में प्रधानाचार्य के साथ शिक्षण कार्य हेतु अनुबन्ध करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
पिथौरागढ़।
3/2/2023

कार्यालय - प्रधानाचार्य, रा0 इ0 का0 सावरीसैण चमोली।

आदेश संख्या / 33 / गेस्ट टीचर (प्रवक्ता) / 2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020

कार्ययोजित आदेश

मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के आदेश संख्या/सेवायें-2/459/गेस्ट टीचर(प्रवक्ता) /2019 -20 दिनांक 25 फरवरी 2020 के अनुपालन में कु0 हेमा को हिन्दी प्रवक्ता के रिक्त पद के प्रति आज दिनांक 26 फरवरी 2020 के पूर्वाहन में अतिथि शिक्षिका के रूप में अनुबन्ध पत्र में उल्लिखित शर्तों के आधार पर विद्यालय में कार्ययोजित किया गया।

(प्रदीप कुमार कन्याल)
Principal

Govt. Inter College
Sawarisain (Chamoli)

पृ0 स0/सेवायें-3/ 449-45/गेस्ट टीचर/2019-20 दिनांक /तद् दिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली।
- 2- विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी दशोली चमोली।
- 3- सम्बन्धित अतिथि शिक्षिका।
- 4- कार्यालय पत्रावली सुरक्षित।

(प्रदीप कुमार कन्याल)
Principal

Govt. Inter College
Sawarisain (Chamoli)

Joining Letter

Date- 01-11-2018

To,

The Principal

SPVM Inter College

Gopeshwar, Chamoli

Subject : An Intimation for joining on duty.

Dear Respected Sir

In am writing formally to accept your offer to join SPVM Inter College Gopeshwar, Chamoli as an Accountancy teacher. With reference to the appoinment letter sent by you. I will be joining your prestigious institution as a teacher in the department of Commerce . I assure you that my educational background and work experience will help me contribute as an educator to your esteemed institution.

Your faithfully

Mr. Manbar singh


Principal
SPVM Inter College
Gopeshwar, Chamoli

श्रीमती प्रियका ममगाई
 पत्नी श्री नागेन्द्र ममगाई
 ग्राम व पोस्ट बनाणी,
 पट्टी डाईज्यूली, पौड़ी गढ़वाल।

निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्रांक 10765/अधि०/आउटसोर्सिंग कार्मिक नियु०/2020-21 दिनांक 16 मार्च 2021 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति एवं प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 26.12.2022 में पारित प्रस्ताव संख्या 19(IX) के क्रम में बैंक से अनुबन्धित संस्था डिस्ट्रिक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट कॉ-ऑपरेटिव फेडरेशन लि० पौड़ी से लिपिकीय कार्य हेतु प्राप्त नामों एवं बैंक स्तर पर गठित कमेटी की संस्तुति के अनुपालन में आपको नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक लि० गढ़वाल (कोटद्वार) की शाखा त्रिपालीसैण में संकलित मानदेय मु० 20000.00 (बीस हजार रुपये) में नई नियुक्ति होने, तक निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सविदा पर कार्योजित किया जाता है।

1. वर्तमान में नवीन शाखाओं के कार्य संचालन हेतु आबंटित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति में सहयोग करना होगा।
2. आपका कार्योजन नितान्त अस्थायी है, जो कि बैंक में नई नियुक्ति होने तक के लिए होगा।
3. योगदान के समय निम्न प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र प्रस्तुत करने होंगे-
 - i. अपने समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र बैंक मुख्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
 - ii. आपको इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा, कि भविष्य में बैंक में सीधी भर्ती होने पर उक्त कार्योजन स्वतः समाप्त हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई वरीयता नहीं मिलेगी।
 - iii. इस आशय का घोषणा पत्र जमा करना होगा कि आप किसी आपराधिक मामले में सजायाफ्ता नहीं है एवं न ही निरूद्ध हुए हैं।
 - iv. आपको दो राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र बैंक में देना होगा।
 - v. मुख्य चिकित्साधिकारी/अधीक्षक द्वारा तदर्थ स्वास्थ्य एवं आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र मूल रूप में देना होगा।
 - vi. बैंक के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं गोपनीयता बरते जाने का घोषणा पत्र एवं मु० 1.00 लाख का फेडिलिटी बॉण्ड प्रस्तुत करना होगा।
1. आपका कार्योजन नितान्त अस्थायी है, तथा स्थायीकरण के सन्दर्भ में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
2. आपके द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता या अनुशासनहीनता पर उक्त नियुक्ति को कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
3. किसी भी विवाद की स्थिति में निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड का निर्णय मान्य होगा।

अतः आप पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर उक्त समस्त औपचारिकताओं सहित शाखा में योगदान करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपका उक्त कार्योजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

सचिव/महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि० शाखा त्रिपालीसैण को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार समस्त दस्तावेज प्राप्त कर मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- सचिव, डिस्ट्रिक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट कॉ-ऑपरेटिव फेडरेशन लि० पौड़ी।
- 3- उप महाप्रबन्धक (प्रशासन), जिला सहकारी बैंक लि०, गढ़वाल कोटद्वार।
- 4- अध्यक्ष महोदय, जिला सहकारी बैंक लि०, गढ़वाल कोटद्वार को अवलोकनार्थ।

सचिव/महाप्रबन्धक

प्रवक्ता / सचिव एलटीओ में गेस्ट टीचर के रूप में शिक्षण कार्य करने हेतु अनुबन्ध
 विद्यालय का नाम - श्री. डी. पी. - 2 (बालिका) - गणेशगढ़, जयपुर - 331011

विषय - उत्तराखण्ड
 संलग्न - उत्तराखण्ड

यह अनुबन्ध श्री. डी. पी. - 2 (बालिका) - गणेशगढ़, जयपुर को/श्री/श्रीमती जिन्हें प्रथम पक्ष कहा गया है एवं श्री अनुराधा प्रथम पक्ष को/श्री/श्रीमती जिन्हें द्वितीय पक्ष कहा गया है को मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुबन्ध प्रदान किया जाता है -
 प्रमानाध्यापक / प्रधानाचार्य श्री. डी. पी. - 2 (बालिका) - गणेशगढ़, जयपुर
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. नरेश सिंह
 जिला देहरादून
 दिनांक 01/03/2023 को 10:30 बजे निष्पादित किया जाता है -

1. द्वितीय पक्ष की तैनाती माओ सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश घामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माओ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेगी। इस संबंध में माओ सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश घामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में माओ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित आदेश में गेस्ट टीचरों की तैनाती से संबंधित आदेश का प्रमुख क्रियात्मक अंश निम्नवत है, का अध्ययन मेरे द्वारा कर लिया गया है-

(i) The ultimate concern is to fill up all the vacancies through a regular process. It appears that there is always a hiatus between the vacancies arising and the appointments being made. The solution to that, in our view, is that taking into consideration the time period required for filling up the vacancies, prospective vacancies for that period of time should be taken into account and the recruitment process should take place.

(iv) In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.

(v) The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.

2. द्वितीय पक्ष की गेस्ट टीचर के रूप में तैनाती नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा माओ उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करूंगा/करुंगी।

3. द्वितीय पक्ष विद्यालय में एक गेस्ट टीचर के रूप में कार्य करेगा/करेगी तथा वह अपने आप को राजकीय कर्मचारी नहीं समझेगा/समझेगी और न ही उसे राजकीय कर्मचारी के समान लाभ देय होगा और न ही कोई अधिमान अनुमन्य होगा।

4. द्वितीय पक्ष यदि प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेगा/करेगी अथवा इस हेतु निर्धारित मापदण्डों पर खरा न उतरने पर अध्यापन कार्य करने को दी गयी स्वीकृति किसी भी समय रद्द कर दी जायेगी।

6. द्वितीय पक्ष का विनियमितीकरण/नियमितीकरण हेतु किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा दी गयी सूचना/सूचनाएं/प्रमाण पत्र आदि तथ्यहीन या असत्य पाये जाने की दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उसे बिना नोटिस के अनुबन्धात्मक रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द करते हुए विधिक कार्यवाही करे।

द्वितीय पक्ष के विरुद्ध विद्यालय में अथवा स्थानीय स्तर पर विपरीत तथ्य पाये जाने की दशा में अनुबन्ध स्वतः समाप्त समझा जायेगा एवं उसे कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।

8. द्वितीय पक्ष को शिक्षा सत्र के मध्य में उसके कार्य के मूल्यांकन के दौरान सफल न पाये जाने की दशा में अनुबन्ध उसे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है। द्वितीय पक्ष पूर्व में राज्य स्तर की मेरिट के अनुसार किसी भी जनपद में किसी भी विषय में कार्यरत नहीं है। अन्यथा

हस्ताक्षर एवं नाम संबंधित गेस्ट टीचर
 दिनांक 01-03-2023
 हस्ताक्षर राधा - 1 Siddha
01-03-2023

हस्ताक्षर एवं नाम संबंधित गेस्ट टीचर
 दिनांक 01-03-2023

V. S. Rawal 2 Sangeeta
 दिनांक 01-03-2023

NO 117

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली

शिक्षा संकुल भवन गोपेश्वर चमोली

फोन- 01372252944, फैक्स- 01372252944

Email ID- deo.chamoli.dir@gmail.com



आदेश संख्या/सेवायें-2/ 494 /गेस्ट टीचर(प्रवक्ता)/2022-23 दिनांक 22 फरवरी 2023
:: आदेश ::

शासनादेश सं0-3781/xxiv-B-1/22-32(01)/2013 T.C.V. दिनांक 05 दिसम्बर 2022 एवं शासनादेश संख्या- 1023 दिनांक 22 नवम्बर 2018 तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या/सेवायें-2/28673-74/गेस्ट फौकल्टी/2022-23 दिनांक 09 जनवरी 2023 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निदेशालय से प्राप्त गेस्ट टीचर के रूप में चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-10 में अंकित विद्यालय में प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पद के प्रति नितान्त अस्थाई रूप से तैनात किया जाता है।

शाखा- सामान्य

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम व पता	लिंग (M/F)	जन्म तिथि	जाति (GEN/SC/ST/OBC)	उप श्रेणी (PH/EX/FF)	सत्यापन के उपरान्त मेरिट के गुणांक	तैनाती का विषय	आवंटित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संगीता	खडक सिंह	F	10/07/1994	GEN		20.51	रसायन विज्ञान	रा0इ0का0 भगवती, नारायणवगड

उक्त तैनाती निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil) Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2020 को पारित निर्णय का क्रियात्मक अंश निम्नवत है-
IV. In the interregnum period, to take care of the exigency, the State Government has gone through a process of selecting adhoc/guest teachers which are stated to be 4076 lecturers and 834 licenced teachers. This process can go ahead, of course making it clear that they will have no right to regularisation or appointments and thus only an adhoc arrangement till the vacancies are filled up.
V. The case of the appellants before us is that they were appointed as adhoc teachers but have not been functioning now since 31st March, 2018. Their appointment took place in 2015. It is also not disputed before us that even after the newly seleted guest teachers are appointed, still there are vacancies remaining and thus the appellants and all similarly situated persons can also be accommodated conveniently. Needless to say that what applies to the new persons so appointed will equally apply to them for their terms of appointment.
- उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-284-286/2020 (Arising out of S.L.P.(Civil)Nos.428-430 of 2019) राजेश धामी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2020 के अधीन रहेंगे।
- यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी, नियमित नियुक्ति (सीधी भर्ती/पदोन्नति/स्थानान्तरण से) होने पर उक्त अस्थायी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में नियुक्त/तैनात किए जा रहे अतिथि शिक्षक इस हेतु भविष्य में कोई अन्य किसी प्रकार के लाभ इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- गेस्ट टीचर/अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु तैनात किये गये अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 25000/- (पच्चीस हजार रूपये) मात्र की दर से अनुमन्य होगा।


उक्तवत तैनात अभ्यर्थी आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्तर्गत कॉलम-10 में अंकित तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(कुलदीप गैरोला)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चमोली

पृ0सं0/सेवायें-2/ 13538-45 /गेस्ट टीचर(प्रवक्ता)/2022-23 दिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

उक्तांकित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0), पौड़ी गढवाल।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी जनपद चमोली।
4. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा जनपद चमोली।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद चमोली।
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से कि संबंधित अभ्यर्थी की शैक्षिक, प्रशिक्षण अर्हताओं एवं पूर्व अनुभव (मु0शि0अधि0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) का भली-भांति मिलान करने के उपरान्त ही सम्बन्धित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करायें तथा कार्यभार ग्रहण करते समय अनुबन्ध पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कार्यालय में सुरक्षित रखें।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
8. आदेश गार्ड फाइल/पत्रावली।


(कुलदीप गैरोला)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
चमोली

Swami Vishnu Chaitanya Hospital, Roorkee

स्वामी विष्णु चैतन्य हॉस्पिटल, रूडकी

(7- KM. Rke- D.Dun Highway, NH- 73, Roorkee, Haridwar- 247661)
Ph Nos.: - 013332-297641, 7906336102, 9456332146, Email id- svchospital.info@gmail.com
(A Unit of Seth Shobha Ram Goyal Trust)

Ref. No:- SVC/HS-02/2022/02

Date:- 25.07.2022

Appointment Letter

To,
Sh. Sunil Kumar,
S/O Shri Guaman Lal,
Jakh Patiyoun, Chamoli,
(Uk) – 246453.

Dear, Sunil Kumar.

This is with reference to your telephonically interview dated 24-07-2022 in respect of it. The Management is pleased to appoint you as **Office Assistant** on subject to the following terms and conditions: -

1. That you are appointed against the post of **Office Assistant** initially on probation for a period of one year. The probationary period will start with effect from Date of joining.
2. That the initial period of probation of one year can be further extended in writing purely at the discretion of the 'Swami Vishnu Chaitanya Ayurvedic Medical College & Research Centre, Roorkee, Haridwar (UK), Management.' However, you shall continue to be on probation till you are confirmed in writing in the services of the Institute, if not terminated or curtailed in between.
3. That during the initial probation period or even during the period so further extended, the Institute Management can, at its discretion, dispense with your services by giving you prior notice of 30 days or by tendering you payment in lieu of such notice but without assigning any reason thereof. Similarly in case you would want to leave / relinquish the services of the Institute you will also be required to give prior notice of 30 days or will have to tender salary / wages for such notice period.
4. That during the service period you will be paid a consolidated sum of Rs. 15000/- only per month as monthly salary / wage, inclusive of Allowances. Such salary / wage will be subject to deduction of Income Tax as per applicable Law in force from time to time and or deduction towards any other applicable Tax. Apart from the consolidated salary / wage you will not be entitled to any other perk, benefit or facility except the benefits of EPF and ESI, if applicable / eligible and two room set for accommodation.
5. That you will be the full time employee of the institute. While in the services and employment, You will not engage yourself in similar work in any other place or establishment and neither will you indulge in any other work, business, trade, profession or employment either for remuneration or otherwise. In case you are found to be indulging in to double employment, the management will be vested with the right to terminate the services with immediate effect without any notice or any payment / compensation in lieu thereof.
6. That in case in future there is any change in your permanent or temporary address then it will be obligatory upon you to notify the said change within 07 days in writing to the Office of the Institute.
7. That all correspondence with you will be made at your last available address as recorded in the records of the Institute. All letters as are sent at such address will be deemed to have been served upon you and shall constitute sufficient service.
8. That in respect of all other matters including leaves, discipline and for other terms and conditions, you will be bound and governed by the directions, orders, Office orders as may be issued by the Management from time to time.
9. All disputes are subject to Jurisdiction at Haridwar district court only.

In case the above stated and mentioned terms and conditions of appointment on probation are acceptable to you then kindly send the acceptance letter for the same and join the duty upto 20.08.2022.


25/7/22
(Authorised Signatory)



Modern Scholars Academy

Senior Secondary School, Chamba, T.G., U.K.
Affiliated to CBSE, New Delhi

E-mail: Modernscholarsacademy@gmail.com

Affiliation No.: 1510309

Tel: 01376-255156

Dated: 01/04/22

Confirmation Letter

Mrs. Vandana Uniyal

Congratulation

Mrs. Vandana Uniyal

I am pleased to inform you that you have successfully completed 3 years of your probationary period due to which you are being offered full time permanent job as an Assistant Teacher (PGT). You will start this job from 01 April 2022.

Moreover the terms and condition for joining the school are that you have to be regular during your job because your punctuality will lead to be a faithful employee.

I congrats you and welcome you on behalf of all the teaching and administration staff of Modern Scholars Academy. Now you are the permanent family member of Modern Scholars Academy teaching staff and I hope that we together will work very hard to achieve the goals of our school.

Sincerely yours

Mr. Vijendra Singh Rawat
Manager,

Modern Scholars Academy, Chamba, Tehri Garhwal